राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः ई–20 / म0स्वा0कार्य0 / (267) / 2018 / दिनांकः–

आदेश

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में पंजीबद्ध अपील संख्या 1644 / 2017 श्रीमती भतेरी देवी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनाम निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.11.2017 की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 05.12.2017 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया एक विधवा महिला है, जिसके दो बच्चे है। अतः प्रार्थिया ने स्वयं का पदस्थान एएनएम के रिक्त पद पर उप स्वास्थ्य केन्द्र, कासीमपुरा, जिला झुझुंनू में करने हेतु निवेदन किया है। माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.11.2017 का मुख्यांश निम्न प्रकार हैः–.

" न्यायहित में अपीलार्थी के अनुरोध पर हस्तगत अपील as Withraw खारिज की जाती है, तथा अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 04.10.2017 के विरूद्ध हस्तगत अपील में उठाये गये आधारों के अनुसरण में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। "

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.11.2017 की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 05.12.2017 के क्रम में मेरे द्वारा विभाग में उपलब्ध / संधारित रिकार्ड के अवलोकन एवं मनन पश्चात् मैने पाया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुझुंनू के अधीन अपीलार्थी अधिशेष थी। यदि प्रार्थिया को पुनः झुझुंनू जिले में लगाया जाता है तो झुझुंनू जिले में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के स्वीकृत पदों से अधिक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदस्थापित हो जावेगी, जिससे याचिकाकर्ता के वेतन आहरण की समस्या उत्पन्न होगी तथा अन्य जिलों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद रिक्त होने के कारण विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम / टीकाकरण एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं बाधित होगी।

मेरे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं कार्मिका के निवेदन पर विचार किये जाने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रार्थिया एक विधवा महिला है एवं उसके दो बच्चे है एवं उसकी परिस्थितियां विषम है। प्रार्थिया का पति जीवित नहीं होने एवं दो छोटे बच्चे होने से सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त तथ्यों के मद्देनजर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुझुंनू के अधीन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद रिक्त नहीं होने के फलस्वरूप मैं उसका पदस्थापन उसकी प्रार्थना अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुझुंनू के अधीन महिला स्वास्थ्य दर्शिका के पद विरूद्ध, जो कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पदोन्नति का अग्रिम पद है, करते हुए इस अभ्यावेदन का एतद् द्वारा निस्तारण करता हूं।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः ई–20 / म0स्वा0कार्य0 / (267) / 2018 / 306 दिनांकः– 9/02/18

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुझुंनू।
2. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
3. श्रीमती भतेरी देवी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पत्नी स्व0 श्री महेश कुमार निवासी धतरवाला का बास वाया औजटू, तहसील चिडावा, जिला झुझुंनू।
4. आदेश / रक्षित पत्रावली।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

Desktop\ANM\ANM order 2018